बैठक | नवीन विधायक कार्यालय में हुआ आयोजन

विचार की ताकत ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी : राकेश सिंह

नवभारत, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी की विचार की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और कार्यकर्ताओं को अपने कार्य से संगठन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहिए। यह बात लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पश्चिम विधानसभा के नवीन विधायक कार्यालय में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कही।

इस वृहत बैठक में विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल समिति, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं बूथ समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि देश के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ हैं। इतने बड़े राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के बाद हमारी भूमिका सीमित नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाजपा सामान्य कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। हमारे प्रेरणा के केंद्र डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष

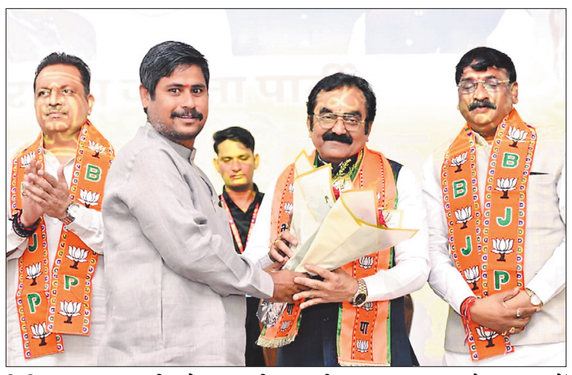

नितिन तक सभी ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान की है।

कार्यकर्ता विकास केंद्र की स्थापना

राकेश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को गढ़ने का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें वैचारिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सक्रिय और जिम्मेदार बनाना है। पहले कार्यकर्ताओं की संख्या सीमित थी, कार्यक्रम कम होते थे और सरकारें भी नहीं थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा केंद्र स्थापित करने का विचार आया, जहां कार्यकर्ता का समग्र विकास हो सके और इसी उद्देश्य से पश्चिम विधानसभा में कार्यकर्ता विकास केंद्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर देश का नाम ऊँचा किया है, इसी तरह हमारी प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जनकल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है, जहाँ विकास के इन कार्यों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी कार्यकर्ताओं को ही करना है। सिंह ने कहा कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता और न ही किसी पद से कोई बड़ा होता है, बल्कि आपके पास जो काम है उसे आप कितनी बेहतर तरीके से करते हैं वही कार्य आपको आगे लेकर जाता है।

वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति

इस अवसर पर राज्य सभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकी, पूर्व संगठनमंत्री वरिष्ठ नेता सुरेश देशपांडे, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी पराँजपे, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, जेडीए उपाध्यक्ष प्रशांत केसरवानी, पूर्व विधायक हरेंद्र जीत सिंह बब्बू मंचासीन थे। बैठक का संचालन अभय सिंह ठाकुर ने किया एवं आभार श्रीकान्त साहू ने व्यक्त किया। बैठक में पंकज दुबे, सोनू वचवानी, रंजीत पटेल, रजनीश यादव, अंजू भार्गव, पूजा श्रीराम पटेल, दिनेश सिंगरोल, रूपा राव, सीमा सिंह, पूनम प्रसाद, पूजा रजक आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्तता उपस्थित थे।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी है अधूरी, नहीं कर सकते सजा से दंडित

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सजा से दंडित किये जाने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी होनी चाहिये। मजबूत षक कभी साक्ष्य का रूप नही ले सकता है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। दमोह जिला न्यायालय के द्वारा हत्या हत्या व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की साज से दंडित किये जाने के खिलाफ लोटन लोधी उर्फ नन्ना ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था कि अभियोजन के अनुसार 22-23 मार्च 2024 को धारदार हथियार से हमला कर मुन्ना अहिरवार की हत्या की हत्या कर दी थी। अपीलकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि कपड़ों पर मानव रक्त नहीं मिलने का उल्लेख था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इसे रक्तयुक्त माना है। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को रिकार्ड के विपरीत और विकृत निष्कर्ष बताया।

अवैध नल कनेक्शन होंगे वैध : निगमायुक्त

- निगमायुक्त ने ली समीक्षा बैठक
- राजस्व और जल आपूर्ति सुधार पर दिया जोर

जबलपुर नवभारत। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने गुरूवार को नगर निगम के तीन प्रमुख विभागों—राजस्व, बाजार और जल विभाग—की एक विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान निगमायुक्त ने तीनों विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों, कर वसूली की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान निगमायुक्त ने जल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में जितने भी अवैध नल कनेक्शन हैं, उन्हें अभियान चलाकर नियमानुसार वैध किया जाए। इससे न केवल अवैध जल आपूर्ति पर रोक लगेगी, बल्कि नागरिकों को वैध कनेक्शन के माध्यम से निर्बाध जल आपूर्ति का लाभ भी मिल सकेगा।

नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा

इसके साथ ही आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने राजस्व विभाग को विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अधिक से अधिक करदाताओं को बकाया कर संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य करों को जमा करने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि नागरिक शासन द्वारा दी जाने वाली छूट एवं राहत का अधिकतम लाभ उठा सकें। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने स्पष्ट किया कि निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं प्रदान करना और राजस्व संग्रह को पारदर्शी व प्रभावी बनाना है। इस अवसर पर अपर आयुक्त, देवेंद्र सिंह चौहान, सौरभ मिश्रा, अशफाक परवेज कुरैशी, उपायुक्त शिवांगी महाजन, अंकिता जैन एवं सभी विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

नीरज कुमार बने भारतीय कबड्डी टीम के कोच

जबलपुर नवभारत। आगामी 21 से 26 सितंबर तक जापान में आयोजित 20वीं एशियन गेम्स कबड्डी टूर्नामेंट में भारतीय महिला व पुरुष टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर कोच के रूप में नगर के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी नीरज कुमार का चयन किया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए जबलपुर जोन संयोजक शानू यादव ने बताया कि मप्र कबड्डी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, सचिव जेसी शमा, मोहन चौहान संरक्षक, जबलपुर कॉरपोरेशन कबड्डी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पप्पू, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित साहू, जबलपुर कॉरपोरेशन कबड्डी संघ के सचिव सुनील ताम्रकार, जिला कबड्डी संघ सचिव समद खान, जॉफ सचिव मनीष रजक, पुष्पेंद्र पांडे, परमू लाल, जितेंद्र सिंह, योगेश बिलोहा, अजय पटेल, प्रवीण अग्रहरि, मोना

सेंगर, जय लक्ष्मी, नीतू सिंह, भारत सिंह चढ़ार, गुरु प्रसाद, भानु सिंह, छोटे लाल सेन, हरीश खन्ना आदि ने बधाई दी।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हो प्रशासनिक ढांचा : एसएन मिश्रा

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष शिव नारायण मिश्रा ;सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आयोग अध्यक्ष श्री मिश्रा ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि यह विधानसभा या लोकसभा का परिसीमन आयोग नहीं बल्कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग है। आयोग जिलों में केवल सुझाव लेने के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के अनुभव और मैदानी परिस्थितियों से सीखने के उद्देश्य से भी आ रहा है। वर्तमान समय में नई तकनीक, डिजिटल व्यवस्था और नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं के कारण प्रशासनिक व्यवस्था को भी नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। श्री मिश्रा ने ये भी कहा कि शासन की सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वे अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचें। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन में केवल वर्तमान परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

मैदानी परिस्थितियों के आधार पर लिए गए सुझाव- वहीं आयोग के सचिव अक्षय सिंह ने बैठक में कहा कि अधिकारियों के अनुभव और मैदानी परिस्थितियों के आधार पर तथ्यात्मक सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठक के बाद प्रश्नावली के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों से प्रस्ताव और आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी।

बैंकों को त्वरित ऋण स्वीकृति के कलेक्टर ने दिए निर्देश

- जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक संपन्न

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों तथा ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्रकरणों का त्वरित परीक्षण एवं स्वीकृति सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिले में

ऋण वितरण की गति बढ़ाने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। जिन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि अपेक्षाकृत कम पाई गई, उन योजनाओं के लंबित प्रकरणों का विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स के बीच समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत, एलडीएम दिवाकर ठाकुर, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा की कार्यशैली में आया ऐतिहासिक सुधार

नवभारत, जबलपुर। नगर पालिक निगम जबलपुर की जन्म-मृत्यु शाखा की कार्यप्रणाली में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला रहा है।महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' एवं आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के कुशल मार्गदर्शन और निरंतर प्रयासों के चलते अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल और तीव्र हो गई है।पूर्व में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में कई महीनों का लंबा समय लग जाता था, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु अब नगर पालिक निगम जन्म-मृत्यु शाखा एवं जिला रजिस्ट्रार (सांख्यिकी विभाग, कलेक्टोरेट) के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, नगर पालिक निगम में आवेदन करने के पश्चात नागरिकों को कुछ ही दिनों के भीतर उनके प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

दूर दराज से आने वाले आवेदकों को राहत

निगम प्रशासन द्वारा एक अनूठा और सराहनीय नवाचार भी शुरू किया गया है, जिसके तहत जबलपुर से बाहर के जिलों या क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों को आवेदन के ठीक उसी दिन उनकी समस्या का निराकरण कर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था से दूर-दराज से आने वाले लोगों के समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।इस व्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजन को सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' एवं आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार का अथक प्रयास, कुशल मार्गदर्शन रहा उनके नेतृत्व में टीम द्वारा लगातार पारदर्शी और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

28 आवेदकों ने लीज की 1.14 करोड़ की राशि नहीं की जमा

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम ने शहर की बहुमूल्य संपत्तियों के प्रबंधन और राजस्व संरक्षण की दिशा में पारदर्शी कदम उठाया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर निगम की लीज व्यवस्था को पूरी तरह नियमबद्ध और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बकाया लीज डिमांड राशि की वसूली के लिए सभी को नोटिस जारी किया गया है। नियमों की अनदेखी कर लंबे समय से राशि न चुकाने वाले 28 आवेदकों को अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं। इन आवेदकों पर कुल 1 करोड़ 14 लाख 89 हजार 9 सौ 16 रुपये की लीज राशि बकाया है, जिसे अब तक निगम कोष में जमा नहीं कराया गया है। सभी 28 आवेदकों को नियमानुसार अपना पक्ष रखने और बकाया राशि चुकाने का अवसर देते हुए नोटिस दिये गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे।

-:: आम-सूचना ::-

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को सूचित करता हूं कि श्री प्रतीक तिवारी पिता श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा अचल सम्पत्ति मौजा - रमनगरा, प.ह.न.-14. रा.नि.मं-03 पुरवा स्थित भूमि खसरा नं.-62/1 (पुराना), नया डायवर्सन खसरा नं-62/1/2, प्लाट नं-26 का पूर्वी भाग, प्लाट एरिया 900 वर्गफुट, एवं प्लाट नं-22, प्लाट एरिया 520 वर्गफुट, टोटल प्लाट एरिया 1420 वर्गफुट जो कि त्रिपुरी वार्ड नं-03, तहसील-गोरखपुर जिला-जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है, जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक - 24/08/2026, ई. पंजीयन क्रमांक - MP50IGR17582026A1010 32214 के जरिये श्री बबलू तिवारी द्वारा मुख्त्यार आम श्री विक्रम सिंह राजपूत द्वारा क्रय किया है। श्री प्रतीक तिवारी द्वारा मेरे पक्षकार से गृह ऋण लिया जा रहा है। जिस की सुरक्षा हेतु उक्त सम्पति को बंधक रखकर सभी मूल दस्तावेज निक्षेप (जमा) किये जा रहे हैं।
जिस पर यदि किसी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, वित्तीय, गैर वित्तीय संस्थान एवं उक्त संपत्ति में विधिक दखल रखने वाला कोई व्यक्ति आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उक्त आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 14 दिन के भीतर मेरे अथवा मेरे पक्षकार के पास अपनी आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात किसी भी आपत्ति को मान्य नहीं किया जावेगा एवं मेरा पक्षकार उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करने हेतु पूर्णत: स्वतंत्र होगा।
जबलपुर
दिनांक :-03/09/2026
भवदीय
हेमन्त कुमार गुप्ता,
एडवोकेट
आफिस - म.नं. :-K-36, K-लाईन
कचनार सिटी, जबलपुर (म.प्र.)
मोन- 7489476827

-:: आम-सूचना ::-

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को सूचित करता हूं कि श्री लाल बहादुर हरिजन पिता श्री राम सजीवन हरिजन एवं श्रीमती नीतू हरिजन पति श्री लाल बहादुर हरिजन द्वारा सम्पत्ति आवासीय उपयोग का मकान, नगर निगम मकान नं-608/ए, जो कि कछपुरा, नं.ब.-501, प.ह.नं.-25/31, रा.नि.मं. जबलपुर-1 इंदिरा गांधी वार्ड क्रमाक -06, तहसील-अधारताल व जिला-जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं 839/1 व 841 का भाग नामांतरण पश्चात खसरा नं 839/3/6, खसरा नं-839/3 एवं 841/2 का भाग कुल रकवा 750 वर्गफुट प्लाट एवं उस पर निर्मित तल मंजिल रकवा 750 वर्गफुट है, जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक - 19/08/2026, ई- पंजीयन क्रमांक-MP50IGR17582026A10101 3158 के जरिये विक्रेतागण श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव पति स्व. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती प्रीति श्रीवास, श्रीमती श्वेता सराठे एवं श्रीमती प्रियंका श्रीवास सभी के पिता स्व. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव से क्रय किया है। उपरोक्त सम्पति को श्री लाल बहादुर हरिजन एवं श्रीमती नीतू हरिजन द्वारा बंधक रखकर 'मेरे पक्षकार से गृह ऋण लिया जा रहा है। जिस की सुरक्षा हेतु उक्त सम्पति से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज मेरे पक्षकार के पास निक्षेप (जमा) किये जा रहे हैं।
जिस पर यदि किसी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, वित्तीय, गैर वित्तीय संस्थान एवं उक्त संपत्ति में विधिक दखल रखने वाला कोई व्यक्ति आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उक्त आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 14 दिन के भीतर मेरे अथवा मेरे पक्षकार के पास अपनी आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात किसी भी आपत्ति को मान्य नहीं किया जावेगा एवं मेरा पक्षकार उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करने हेतु पूर्णत: स्वतंत्र होगा।
जबलपुर
दिनांक :-03/09/2026
भवदीय
हेमन्त कुमार गुप्ता,
एडवोकेट
आफिस - म.नं. :-K- 36, लाईन
कचनार सिटी, जबलपुर (म.प्र.)
मोन- 7489476827

2025 की तुलना में इस वर्ष शहर में संक्रामक बीमारियों के आंकड़े शून्य

नवभारत, जबलपुर। शहर में मौसमी व संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा व्यापक जनस्वास्थ्य अभियान बेहद असरदार साबित हो रहा है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, स्वास्थ्य प्रभारी रजनी कैलाश साहू एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कुशल मार्गदर्शन में शहर के सभी वार्डों में युद्धस्तर पर कीटनाशक दवाओं का सघन छिड़काव और नियमित फॉगिंग कराई जा रही है। निगम की इस सक्रियता और अग्रिम कार्ययोजना का ही परिणाम है कि वर्ष 2025 की तुलना में इस वर्ष संक्रामक बीमारियों के मामलों में भारी गिरावट आई है और यह आंकड़े लगभग शून्य के स्तर पर पहुंच

गए हैं, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में मलेरिया के 16, डेंगू के 74 एवं चिकनगुनिया के 38 कुल 128 प्रकरण मिले थे जिसकी तुलना में वर्ष 2026 में अभी तक मलेरिया के 7, डेंगू के 12 एवं चिकनगुनिया के 2 कुल मात्र 21 प्रकरण ही सामने आए हैं। बेहतर सफाई प्रबंधन एवं दवाई छिड़काव से अब तक शहर में बरसाती बीमारिया नियंत्रित हैं।

सभी वार्डों में टीम सक्रिय

स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी वार्डों और संभागों में रोस्टर बनाकर नालियों, खुले प्लाटों, जलभराव वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर कीटनाशकों का नियमित छिड़काव कर रही हैं। घनी बस्तियों, प्रमुख नालों और झाड़ियों वाले इलाकों में लार्वानाशक दवाओं के स्प्रे के साथ शाम के समय धुआं फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिससे मच्छर जनित बीमारियों का खतरा समाप्त हो रहा है। छिड़काव के साथ-साथ कचरा उठान, नालियों की गहरी सफाई और जलजमाव निकासी का कार्य भी समानांतर रूप से जारी है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)
द्वितीय निविदा सूचना
N.I.T No./PWD/16/PRO No.535
Dated : - 03/09/2026
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_533568_1	संभाग क्रं. 16 ठक्करग्राम वार्ड अंतर्गत नईम के मकान से आसिफ ड्राईवर के मकान तक नाली निर्माण एवं सड़क का सीमेंटीकरण कार्य।(पार्षद अनुशंसा)	04 माह 2.60 लाख	2000/- 2609/-	15/09/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
संभागीय यंत्री/कार्यपालन यंत्री (लोककर्म)
नगर पालिक निगम जबलपुर

विश्वासघात कर सहेली ने हड़प लिए जेवरात

जबलपुर। संजीवनी नगर निवासी एक महिला के साथ उसकी सहेली ने विश्वासघात करते हुए जेवरात हड़प लिए। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है। पीड़िता शक्ति जैन पत्नि विशाल जैन, (32) निवासी संजीवनी नगर, कृष्णा परिसर के सामने, संजीवनी नगर ने बताया कि दीपशिखा गुप्ता पति जितेश गुप्ता निवासी अवनी विहारसे उसकी पहचान वर्ष 2024 में हुई थी। दीपशिखा उसकी अच्छी सहेली बन गई थी और घर जैसे पारिवारिक संबंध बन गये, वह उसे छोटी बहन मानती थी। दिसंबर 2025 में दीपशिखा द्वारा अच्छी जान पहचान के चलते मानसिक रूप से अपनापन दिखाते हुए अपनी परेशानी बताई कि किसी आईपीएल प्रकरण में उसके पति के विरुद्ध केस दर्ज हो गया है, जिसमें उसके पति व दीपशिखा को स्वयं को जेल हो सकती है, उक्त प्रकरण से बचने के लिए उसके पास कोई मददगार, सहारा नहीं है और उसे रूपयों की अति आवश्यकता है और कोई भी उधार नहीं दे रहा है न ही मदद कर रहा है। तब दीपशिखा काफी परेशान थी जिसके चलते उसने सोने चांदी के जेवरात एवं पांच हजार रूपए नगद दिए थे। 3 माह में वापिस करने का भरोसा दिलाया था। तीन माह बाद जब पैसे, जेवर वापिस मांगी गई तो टालमटोली करती रही। 27 जुलाई को उसके परिजनों को जेवर, नगदी देने की बात पता चल गई। इसके बाद उसने दबाव बनाया तो उसे धमकी दी गई। संजीवनी नगर थाने में 1 अगस्त 2026 को शिकायत करने गई तो वहां से उसे तिलवारा थाने भेज दिया गया। 20 दिनों तक गुमराह करने के बाद संजीवनी नगर थाने भेज दिया गया है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।

पश्चिम मध्य रेल
यांत्रिक शाखा
निविदा सूचना क्र JBP-M-Tender-20A-2026
खुली निविदा, Dated 27/08/2026
निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (फ्रेट)/नकज, आर.ओ.एच. डिपो नकज, पश्चिम मध्य रेल, के द्वारा आमंत्रित की जाती है:- **निविदा सूचना क्रमांक दिनांक:** JBP-M-Tender-20A-2026, Dated 27/08/2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित** : आरओएच शेड एनकेजे और व्हील केयर सेंटर एनकेजे में PU फ्लोरिंग का कार्य, **कार्य का विज्ञापित मूल्य रुपये** : 8982750.00, **बयाना राशी रुपये**: 179700.00, **समापन की अवधि** : 09 माह, **निविदा क्लोजिंग तिथि एवं समय** : 18/09/2026, 15:00 Hrs उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेब साईट https:ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। (हस्ता)
मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक)
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल
शुद्धिपत्र संख्या-12/2026
निविदा सं. 50265027 जिसके खुलने की तिथि 15/09/2026 थी, जो कि इस कार्यालय की **निविदा नोटिस सं.** EPS/26/2026 के तहत प्रकाशित की गई थी, इसमें निम्न संशोधन किए गए है-

निविदा सं. एवं संक्षिप्त विवरण	50265027 **Description:-** 25 वाट VHF सेट सप्लाई ऑफ ट्रांस रिसीवर VHF डिजिटल रेडियो	
	From	To
निविदा सं. एवं संक्षिप्त विवरण	50262027 **Description:-** 25 Watt VHF Set-Supply of Trans receiver VHF digital radio	50265027 Description:- 25 Watt VHF Set- Supply of Trans receiver VHF digital radio

अद्यतन एवं पूर्ण जानकारी के लिए बेबसाईट https://www.ireps.gov.in. देखें। (हस्ता)
कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल कटनी
मो. 9424792725, Email: dfotkatn@mp.gov.in
सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा विज्ञप्ति
कटनी वनमंडल के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में विभिन्न योजना अन्तर्गत अधिनस्थ परिक्षेत्रों में प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य वृक्षारोपण सुरक्षा कार्य में उपयोग हेतु बारबेड वायर क्रय करने के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज मध्यप्रदेश के www.mptenders.gov.in में प्रकाशन दिनांक से दिनांक 22/09/2026 को सायं 05.30 बजे तक ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं।।

क्र.	विवरण	
1.	निविदा प्रपत्र की उपलब्धता	निविदा प्रपत्र बेवसाइड www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	500/- रूपये (पांच सौ रूपये मात्र)
3.	धरोहर राशि	30,000/- (रूपये तीस हजार रूपये मात्र)
4.	निविदा प्रपत्र की ऑनलाईन उपलब्धता	www.mptenders.gov.in में प्रकाशन दिनांक से
5.	प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 16/09/2026 को 02:00 बजे तक
6.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथिएवं समय	दिनांक 22/09/2025 को सायं 05:30 बजे
7.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 23/09/2026 को सायं 05.30 बजे

(गर्वित गंगवार)
भा.व.से.,
वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल कटनी
जी-18086/26
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता